

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2136]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2015/आश्विन 13, 1937

No. 21361

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2015/ASVINA 13, 1937

भारी उद्योग विभाग शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015

का.आ. 2696(अ).—भारत में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण हेतु स्कीम-फेम इंडिया।

अधिसूचना सं. 12(89)/2009-एईआई (खण्ड V), दिनांक 13 मार्च, 2015 के अनुसार जारी तथा भारत के राजपत्र में 25 मार्च, 2015 को सं. 631 पर प्रकाशित अधिसूचना में आंशिक रूप से आशोधन करते हुए पैरा 7 के नीचे तथा पैरा 8 के ऊपर निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है:-

"7क जहां तक सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड 2 (दो) पहिया और 3 (तीन) पहिया वाहनों का संबंध है, यह स्कीम पैरा 7 में उल्लिखित किन्हीं भौगोलिक सीमाओं के बिना भारत में किसी भी स्थान पर इन वाहनों की बिक्री के लिए लागू है।

[सं. 12(89)/2009-एईआई (खण्ड V)(6449)]

अंबुज शर्मा, अपर सचिव

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY **CORRIGENDUM**

New Delhi, the 30th September, 2015

S.O. 2696(E).—Scheme for faster Adoption and manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India- FAME India.

In partial modification of the Notification issued, vide Notification No. 12(89)/2009-AEI (Vol. V), dated 13th March 2015 and published in the Gazette of India vide No. 631 on 25th March 2015, under para 7, and above para 8, following para is inserted.

"7A.As far as Electric and Hybrid 2 (two) Wheelers and 3 (three) Wheelers of all types are concerned, the scheme is applicable for their sale anywhere in India, without any geographical limitations as mentioned in Para 7."

[No. 12(89)/2009-AEI (Vol.V) (6449)] AMBUJ SHARMA, Addl. Secy.

4207 GI/2015